रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1877] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 5, 2017/आषाढ़ 14, 1939
No. 1877] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 5, 2017/ASADHA 14, 1939

शहरी विकास मंत्रालय

(एमआरटीएस-II)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2017

का.आ. 2109(अ).—केंद्रीय सरकार मेट्रो रेल (संकार्यों का निर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का 33) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आन्ध्र प्रदेश सरकार से परामर्श करने के पश्चात, यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट महानगर क्षेत्र पर लागू होंगे, अर्थात्:—

सारणी

महानगर क्षेत्र का नाम	राज्य का नाम
(1)	(2)
विजयवाड़ा	आन्ध्र प्रदेश

[फा. सं. के-14011/9/2017-एमआरटीएस-II]

अम्बुज बाजपेयी, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(MRTS-II)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2017

S.O. 2109(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978) (herein after referred to as the said Act), the Central Government after consultation with the Government of Andhra Pradesh hereby declare that the provisions of the said Act shall apply to the Metropolitan area as specified in the Table below with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:—

TABLE

Name of the Metropolitan area	Name of the State
(1)	(2)
Vijayawada	Andhra Pradesh

[F. No. K-14011/9/2017-MRTS-II]

AMBUJ BAJPAI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2017

का.आ. 2110(अ).—केंद्रीय सरकार मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आन्ध्र प्रदेश सरकार से परामर्श करने के पश्चात, यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट महानगर क्षेत्र पर लागू होंगे अर्थात्:—

सारणी

महानगर क्षेत्र का नाम	राज्य का नाम
(1)	(2)
विजयवाड़ा	आन्ध्र प्रदेश

[फा. सं. के-14011/9/2017-एमआरटीएस-II]

अम्बुज बाजपेयी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2017

S.O. 2110(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002) (herein after referred to as the said Act), the Central Government after consultation with the Government of Andhra Pradesh hereby extends the provisions of the said Act to the Metropolitan area as specified in the Table below with effect from the date of the publication of this notification in the Official Gazette of India, namely:—

TABLE

Name of the Metropolitan area	Name of the State
(1)	(2)
Vijayawada	Andhra Pradesh

[F. No. K-14011/9/2017-MRTS-II]

AMBUJ BAJPAI, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.07.06 15:36:18 +05'30'